## रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी,

~~[illegible]~~ ग्राम बालोती की जमाबंदी सं० 2011-14 के खाता सं० 272 में पट्टेदार गिरिराज पु० 14 दर्ज है। जबकि आवेदक का सही नाम राजेन्द्र कुमार है। राजेन्द्र कुमार के नाम से जी. सम्पत दस्तावेज (बैंक आई.डी. आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज) बने हुए हैं। विश्वसनीय का नाजायज फायदा खोलते बचत खाते आदि का होने से बोलता नाम पप्पू की कार दिया था। जबकि वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराज है। अतः पप्पू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट पटवारी
दिनांक 15/5/18

रिपोर्ट पटवारी
दिनांक 15/5/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी जांच ILR एवं स्वयं आवेदक प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, शपथ पत्र एवं ग्राम वासियों द्वारा पेश शपथ पत्रों के आधार पर आवेदक का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराज है। अतः ग्राम बालोती की जमाबन्दी सं. 2011-14 के सं. 272 में दर्ज खातेदार पप्पू का नाम पप्पू पुत्र गिरिराज के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराज शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(रिकार्ड)

आदेश

तहसीलदार (भू० अभि०)
सपोटरा (करौली)

रिपोर्ट पटवारी, ILR एवं तहसीलदार सपोटरा की रिपोर्ट प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम हो।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी

.....

Scanned by CamScanner